

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर महोदय श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही-

नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले अभियुक्त को थाना स्वार पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार

आज दिनांक 02-09-2020 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा अय्यूब पुत्र याकूब निवासी ग्राम शिकारपुर थाना स्वार, रामपुर को मुंशीगंज तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 31-08-2020 थाना स्वार, रामपुर क्षेत्र की रहने वाली एक 13 साल की लडकी के साथ छेडछाड की गयी थी तथा धमकी देते हुए फरार हो गया था। इस सम्बंध में थाना स्वार, रामपुर पर मु0अ0सं0-391/20 धारा 354ख, 506 भादवि व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का सरक्षण अधिनियम बनाम अय्यूब पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अय्यूब पुत्र याकूब निवासी ग्राम शिकारपुर थाना स्वार, रामपुर।

कार्यवाही :-

मु0अ0सं0-391/20 धारा 354ख, 506 भादवि व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का सरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।



थाना मिलकखानम :- शराब बनाने के उपकरण (शराब भट्टी) व 50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 02-09-2020 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा रवि सिंह तथा रेषम सिंह पुत्रगण जोगेन्द्र निवासी गुलाब का मझरा थाना किलाखेड़ा जनपद उधमसिंहनगर को ग्राम अज्जूवाला स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण शराब भट्टी लगाकर अवैध रूप से कच्ची शराब की कसीदगी कर रहे थे। मौके से लोहे का 01 ड्रम, एल्यूमीनियम का 01 पतीला, 01 प्लास्टिक पाईप आदि शराब बनाने के उपकरण (शराब भट्टी) व 50 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई तथा मौके पर करीब 100 लीटर लहन को नष्ट किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0-106/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना मिलकखानम :- शराब बनाने के उपकरण (शराब भट्टी) व 50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

थाना पटवाई :-45 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 01-09-2020 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा संजय पुत्र रमेश निवासी जिवाई कदीम थाना पटवाई, रामपुर को जिवाई कदीम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से प्लास्टिक की एक जरीकेन में 45 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पर मु0अ0सं0-169/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना पटवाई :-45 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना अजीमनगर :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार- दिनांक 01-09-2020 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री कन्हई निवासी देवरनिया थाना अजीमनगर, रामपुर को जंगल ग्राम देवरनिया से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-245/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली :-ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 08 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 01-09-2020 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 08 अभियुक्तगण को बापू मॉल से गिरफ्तार किया गया। मौके से ताश के पत्ते व 3700 रुपये नगद बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-171/20 धारा 13 जी. एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01-मुराद अली पुत्र इम्तयाज अली

02-रिजवान अली पुत्र इम्तयाज अली

03-रऊफ अहमद पुत्र मुस्तफा अहमद

04-नाजिम पुत्र शाकिर खॉ

05-फिरोज पुत्र इकबाल आंगा

06-बदर पुत्र बच्छन

07-परवेज पुत्र राहत खॉ

08-तसलीम अहमद उर्फ बाबू पुत्र बन्दू खॉ नि0गण चौक मौहम्मद सईद खॉ थाना कोतवाली, रामपुर।

थाना सिविल लाइन :- एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 02-09-2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा अंकुर सक्सेना पुत्र राम प्रकाश निवासी षिवापुरम कॉलोनी थाना सिविल लाइन, रामपुर को षिवापुरम मोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-256/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।